

कविता / ओमप्रकाश वाल्मीकि सदियों का संताप

चूल्हा मिट्टी का
मिट्टी तालाब की
तालाब ठाकुर का ।

भूख रोटी की
रोटी बाजरे की
बाजरा खेत का
खेत ठाकुर का ।

बैल ठाकुर का हल ठाकुर का हल की मूठ पर हथेली अपनी

फ़सल ठाकुर की ।

कुआँ ठाकुर का
पानी ठाकुर का

**खेत-खलिहान ठाकुर के
गली-मुहल्ले ठाकुर के
फिर अपना क्या ?**

गाँव ?

शहर ?

देश ?

(नवम्बर, 1981)

7

गुंडई में ऑटो-पिन मालिकान अव्वल दर्जे पर रहे हैं

୩୮

सतीश कुमार

एनआईटी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अंटो-पिन मालिकान अपने यहां कार्यरत मज़दुरों का शोषण व प्रताड़ना करने में किसी गुंडे से कम नहीं रहे। हिन्द मज़दर सभा का झंडा लगाने से पूर्व यहां के मज़दुरों ने सीटू का झंडा लगाने का भी प्रयास किया था। योजना यह थी कि सीटू से जुड़े मज़दूर एक शाम को प्याली चौक मैदान में एकत्र होंगे और वहां से जुलूस लेकर अंटो-पिन गेट पर उस बक्त पहुंचेंगे जब वहां के मज़दुरों की शिफ्ट समाप्त होगी। सीटू से जुड़े सैकड़ों मज़दूर वहां एकत्र हुए कि अचानक तीन ट्रकों में भर कर लाठी डंडों व तलवारों से लैस होकर सैकड़ों गुंडे वहां पहुंचे। उनका नेतृत्व बीएमएस से अंटो-पिन यूनियन के प्रधान जगन्नाथ गेरा कर रहे थे। इन हथियार बंद गुंडों ने ट्रकों से उतरते व ललकारा मारते हुए पूरे जोर से ऐसा हल्ला बोला कि मैदान में शान्ति से खड़े सीटू मज़दुरों में भगदड़ मच गयी। भागते हुए मज़दुरों को जगन्नाथ के गुंडों ने बहुत बेरहमी से पीट-पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। अनेकों के सिर फ़टे व हाथ पैर टटे।

उस वक्त मैं भी सीटू मज्जदूरों के साथ खड़ा था और उस हल्ले से इस कदर डर गया था कि भाग ही नहीं सका और जहां का तहां खड़ा रह गया। मेरे साथ खड़े लोग भाग रहे थे और हमलावर उनका पीछा कर रहे थे और उस भगदड़ में मैं किंकर्तव्य विमृद्ध बना खड़ा था। हमलावरों ने जरूर यही समझा हांगा कि जो चुपचाप खड़ा है वह ऐसे ही कोई तमाशबीन होगा या फिर उनके निशाने पर केवल जान बचा कर भागते लोग थे। चाहे कुछ भी रहा हो मैं साफ बच गया। ‘युद्ध’ समाप्त होने के बाद मैं अन्य साथियों के साथ मिल कर घायलों को सम्भालने व बीके अस्पताल पहुंचाने में जटा।

अस्पताल में थाना एनआईटी के तत्कालीन एसएचओ सीस राम पूरे दल-बल के साथ लोपा-पोती करने पहुंचे। उस वक्त रेलवे लाइन के पश्चिम की ओर केवल एक ही थाना एनआईटी होता था। घायलों की दुर्दशा, फटी हुई खोपड़ियां टूटे हुए हाथ-पैर देख कर एसएचओ ने आई पीसी की सबसे कमज़ोर धाराओं (323,506) का केस दर्ज किया। टूटे हाथ-पैरों के लिये एसएचओ का कहना था कि एक्सरे के बाद यदि ज़रूरी होगा तो अन्य धारा लगाई जायेगी। फटी हुई खोपड़ियों के बारे इसका कहना था कि यह तलवार का नहीं लाठी का घाव है यानी कुंद हथियार की घाव है। जाहिर था कि मामले में न कुछ होना था और न ही हआ।

उधर अंटो पिन मालिकान मजदूरों के शोषण में बेरोक-टोक जुटा रहा। उसने कुछ औद्योगिक प्लॉट सेक्टर 6 में खरीद कर वहाँ भी काम शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद उन्हीं ने प्लॉटों में से एक के प्रताड़ित मजदूर सीटु कार्यलय पहुंचे। यद्यपि कुछ समय पूर्व हम अंटो पिन पर भयकर गच्छा खा चुके थे लेकिन हिम्मत नहीं हारी और सिरोंको नाम से बनाये गये प्लॉट के गेट पर मजदूरों के साथ जा डेटे। इस बार यहाँ धरने पर बैठे मजदूरों के कम्पनी मालिक सरदार अवतार सिंह ने अपनी सरदारी का जलवा दिखा दिया। उसने पंजाब से निहंग सिख बुलाकर अपनी फैक्ट्री में बैठा दिये। एक रात निहंगों ने मजदूरों पर हमला कर दिया, जिन्हें उसी तरफ से पास रही तरफे

दिया, उन्हुं बुरा तरह स मारा-पाटा उनक
बैनर व तम्ब आदि सब जला दिये।
अगले दिन पुलिस आई, भीतर बड़े मजे
से आराम फ़रमा रहे निंहंगों को देखा भी
लैकिन गिरफ्तारी कोई नहीं की गयी;
केवल कुछ काङजी खानापूर्ति करके
काम को टरका दिया गया। जाहिर है
उसके बाद वहां युनियन तो न बन सकी

कर दी। मज़दूरों ने हिसाब मांगा तो वह
भी देते हुए कहा—



मालिकान अपनी नाजायज तालाबंदी को जायज बनाने के लिये तमाम हथकंडे अपनाते हैं

परन्तु कम्पनी भी ठीक ढंग से पनप नहीं
पाई।

वेतन के लिये घेराव की नीति से उत्साहित मज़दूरों ने संगठित होकर अपनी अन्य जायज मांगों को उठाना शुरू किया तो एक दिन, शायद वेतन देने वाले दिन कम्पनी गेट पर ताला लगा कर एक नोटिस चस्पा कर दिया कि जो मज़दूर कम्पनी की शर्तें वाला फ़ार्म भर कर काम पर आना चाहते हैं, वे आ जायें। लेकिन कम्पनी की ओर से फ़ार्म उपलब्ध नहीं कराये गये थे। ऐसे में एचएमएस नेतृत्व ने नीतिगत फ़ेसला लेते हुए खुद ही फ़ार्म छपवा कर व भर कर श्रम विभाग को दे दिये। अक्सर मालिकान अपनी नाजायज तालाबंदी को जायज बनाने के लिये इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं। फ़ार्म पर दस्तखत करने से मज़दूर घबराते हैं और तालाबंदी को वैधता मिल जाती है। यही सोच कर कम्पनी ने फ़ार्म छपवाने का खर्च भी बचाना चाहा था। परन्तु इस बारे

खुद ना बचावा बाहो था। परन्तु इस जरूरी काम के लिये जब मजदूरों ने खुद से फ़रमाया कि वह भर कर दे दिये। परिणाम स्वरूप करीब तीन माह तक चली तालाबंदी अवधि घोषित हुई और कम्पनी को इस अवधि का पूरा वेतन देना पड़ा। यह अपने आप में एक मिसाल थी, न इससे पहले न इसके बाद किसी ने तालाबंदी का वेतन लिया-दिया।

इसी दौर में कम्पनी के भीतर स्थित एक खोलते पानी के हौद में गिर कर एक मजदूर की मौत हो गयी। मजदूर नया-नया हूँट्पर लगा था, ई-एसआई का कवरेज तक उसका हुआ नहीं था। हौद में गिरा इस लिये था कि सुरक्षा के लिये आवश्यक बाड़बंदी तो की नहीं गयी थी, उल्टे वहां फिसलन ऐसी थी कि वह फिसल कर गिर गया और आलू की तरह उबल गया। कम्पनी ने तुरं-फुर्त लाश को उसके गांव भेजने का प्रबन्ध करके मामले को दबाना चाहा था, दबा भी लेती यदि पहले वाली जेबी यूनियन होती तो। परन्तु अब यहां एक सशक्त यूनियन खड़ी हो चुकी थी, लिहाजा शव को गेट के बाहर रख कर मजदूरों ने काम बंद कर दिया। पुलिस आई केस दर्ज हुआ। मृतक के परिजनों को बुलाया गया और उस वक्त के हिसाब से अच्छा-खासा मुआवजा उसके परिजनों को दिलवाया गया।

इन सब घटनाओं के दौरान इन्हीं मालिकान की सेक्टर 6 स्थित आटोगलाइड नामक फैक्ट्री के 100 से अधिक मजदूरों ने एचएमएस कार्यालय में आकर बताया कि उन्हें दो-दो महीने तक वेतन नहीं दिया जा रहा है। वहां युनियन बनी झँड़ा लगा। इन घटनाओं के बाद मालिकाना का गद्दारी करने वाले नेताओं को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। बेर्शम इतने थे कि माफ़ी मांगते हुए वे फ़िर से एचएमएस दफ्तर आये और बोले कि वे सरदार के बहकावे में आ गये थे। परन्तु तब तक सब कुछ विखर चुका था।

(सम्पादक : मजदूर मोर्चा)